



2026:AHC:57745

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा

482 बी.एन.एस.एस. संख्या - 2120/2026

सलमान@ आशियाफ

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, गृह सचिव (गृह मंत्रालय) के माध्यम से और अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : पुष्पेंद्र सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 72

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. श्री मो. कमर शाह आलम, जो श्री पुष्पेन्द्र सिंह, विद्वान अधिवक्ता, आवेदक की ओर से ब्रीफ होल्डर हैं, श्री बी.पी. मौर्या, विद्वान ए.जी.ए., राज्य की ओर से सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 1090/2025, धारा 191(2), 191(3), 115(2), 352, 109(1), 125 बी.एन.एस. के अंतर्गत, थाना सिकंदराबाद, जिला बुलंदशहर में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह प्रार्थना की गई है कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस वाद में मिथ्या रूप से फंसाया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि सह-अभियुक्त मो. जीशान और सैरान को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन यू/एस 482 बी.एन.एस.एस. संख्या 1289/2026 और 1219/2026 में दिनांक 10.02.2026 और 09.03.2026 को पारित आदेशों द्वारा पहले ही अग्रिम जमानत प्रदान की जा चुकी है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट 40-50 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज की गई है और आवेदक को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं दी गई है तथा विवेचना के दौरान प्रथम सूचनाकर्ता के स्वीकारोक्ति कथन में आवेदक का नाम उजागर हुआ है और घायल की कोई भी चोट जीवन के लिए खतरनाक नहीं पाई गई है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देता है तथा विवेचना अभिकरण या न्यायालय द्वारा जब भी अपेक्षित हो, उपस्थित होगा। यह कथन किया गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, विवेचना में सहयोग करेगा और जमानत की सभी शर्तों का अनुपालन करेगा।

4. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया है और यह प्रस्तुत किया है कि आवेदक का धारा 115(2) और 351(3) बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत अपराध से संबंधित एक वाद का आपराधिक इतिहास है।

5. सह-अभियुक्त मो. जीशान और सैरान को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन यू/एस 482 बी.एन.एस.एस. संख्या 1289/2026 और 1219/2026 में दिनांक 10.02.2026 और 09.03.2026 को पारित आदेशों द्वारा पहले ही अग्रिम जमानत प्रदान की जा चुकी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 40-50 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज की गई है और आवेदक की कोई विशिष्ट भूमिका निर्धारित नहीं की गई है तथा विवेचना के दौरान प्रथम सूचनाकर्ता के स्वीकारोक्ति कथन में आवेदक का नाम उजागर हुआ है और घायल की कोई भी चोट जीवन के लिए खतरनाक नहीं पाई गई है तथा विद्वान ए.जी.ए. द्वारा इंगित किए अनुसार आवेदक का धारा 115(2) और 351(3) बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत अपराध से संबंधित एक वाद का आपराधिक इतिहास है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. यह कथन किया जा सकता है कि **सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011)**

1 एससीसी 694 के वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि अग्रिम जमानत निर्णीत करते समय न्यायालय को आरोप की प्रकृति और गंभीरता, अभियुक्त के पूर्ववृत्त, अभियुक्त के न्याय से फरार होने की संभावना पर विचार करना चाहिए तथा न्यायालय को अभियुक्त के विरुद्ध उपलब्ध सभी सामग्री का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करना चाहिए और अभियुक्त की सटीक भूमिका को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

7. वर्तमान वाद में, अग्रिम जमानत से संबंधित स्थापित विधि के सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें, आवेदक की भूमिका तथा वाद की सभी संलग्न तथ्य एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का मामला बनता है।

8. अग्रिम जमानत आवेदन अनुज्ञात किया जाता है।

9. आवेदक- **सलमान @ आशियाफ**, जो उपरोक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त है, की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे रुपये 50,000/- के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो प्रतिभू, प्रत्येक उसी धनराशि की, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा:-

(i) आवेदक साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा और वह विचारण न्यायालय के समक्ष नियत तिथि पर उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा उसे छूट न दी जाए;

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वाद के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि ऐसे व्यक्ति को तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके, चाहे वह न्यायालय के समक्ष हो या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष;

(iii) आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करेगा और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

(iv) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

10. किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में, अभियोजन पक्ष पक्ष को आवेदक को प्रदत्त अग्रिम जमानत को रद्द करने हेतु उचित आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता होगी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)

20 मार्च, 2026

आरकेएम

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।